

अध्याय 4 – स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र निर्धारितियों द्वारा आयकर अधिनियम के अन्य प्रावधानों का लाभ उठाये जाने से संबंधित अनुपालन मामले।

4.1 अनुपालन मामलों पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष

निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम/मेडिकल क्लीनिक, मेडिकल कॉलेज/रिसर्च इंस्टीट्यूट, डायग्नोस्टिक सेंटर, पथोलोजिकल प्रयोगशाला तथा अन्य मेडिकल आपूर्ति एजेंसियों/भंडारों के निर्धारण अभिलेखों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा कटौती, निर्धारण की गुणवत्ता, निर्धारण से बची आय आदि से संबंधित त्रुटियां देखी गईं। इस अध्याय में आयकर अधिनियम तथा उपरोक्त निर्धारितियों के संबंध में निर्धारण के दौरान निर्धारण अधिकारियों द्वारा संगत नियम/न्यायिक निर्णयों के प्रावधान लागू किए जाने में की गई कमियों से संबंधित लेखापरीक्षा मामलों का उल्लेख है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया कि 149 मामलों में, आयकर अधिनियम के प्रावधानों का अनुसरण सही प्रकार से नहीं किया गया, जिसमें ₹74.45 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। तालिका 4.1 में निर्धारण में दृष्टिगत गलतियों तथा उसके परिणामस्वरूप कर प्रभाव का सार दर्शाया गया है। इस संबंध में विस्तृत लेखापरीक्षा निष्कर्ष का वर्णन अनुवर्ती पैराग्राफों में किया गया है।

तालिका 4.1: निर्धारण में पाई गई चूकों के प्रकार:

क्रम सं.	चूकों की प्रकृति और रिपोर्ट का पैरा संख्या	मामलों की संख्या	कर प्रभाव (₹ लाख में)
1.	मूल्यहास/परिशोधन की अनियमित छूट (पैरा 4.2.1 तथा 4.2.2)	9	231.39
2.	व्यापार व्यय में अनियमित छूट (पैरा 4.3)	23	361.56
3.	स्रोत पर कर-कटौती ना किया जाना (टीडीएस) (पैरा 4.4)	13	266.11
4.	न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) संबंधित अनियमितताएं (पैरा 4.5)	5	465.74
5.	अग्नेनीत हानियों के निपटान संबंधी अनियमितताएं (पैरा 4.6)	8	1,561.95
6.	शास्ति ना लगाना (पैरा 4.7)	7	217.65
7.	पूंजीगत अभिलाभ/हानियों की गलत गणना (पैरा 4.8)	8	296.26
8.	निर्धारण से बची आय (पैरा 4.9)	22	279.73

9.	निर्धारण के दौरान अन्य चूकें (पैरा 4.10)	26	1,441.99
10.	गैर-कानूनी व्यय की अनियमित छूट (पैरा 4.11)	28	2,322.25
कुल		149	7,444.63

4.2 मूल्यहास/परिशोधन की अनियमित छूट

4.2.1 पांच राज्यों⁹⁹ के आठ मामलों में (परिशिष्ट-7) परिसंपत्तियों पर (जीवन रक्षक उपस्करों के अतिरिक्त पैरा 3.3.4 में वर्णित) आयकर अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत मूल्यहास अनियमित रूप से मंजूर किया गया जिसमें ₹2.06 करोड़ का कर निहित था। तीन मामलों का वर्णन निम्नानुसार है। (बॉक्स 4.1)

बॉक्स 4.1: मूल्यहास की अनियमित छूट के निदर्शी मामले (जीवन-रक्षक उपस्करों के अतिरिक्त)

क. प्रभार: पीसीआईटी-2, गुवाहाटी, असम

निर्धारिती: जीएनआरसी लिमि.

निर्धारण वर्ष: 2011-12

पैन: AAACG7527P

₹4.93 करोड़ की निर्धारित आय के साथ निर्धारण की संवीक्षा मार्च 2014 में पूर्ण की गई। कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ सलंग्न आयकर मूल्यहास अनुसूची में यह देखा गया कि आयकर अधिनियम के अनुसार कुल अनुमत मूल्यहास ₹4.93 करोड़ था। तथापि, निर्धारण आदेश में, निर्धारण अधिकारी ने ₹6.78 करोड़ का मूल्यहास अनुमत किया। इस प्रकार ₹1.85 करोड़ का अतिरिक्त मूल्यहास अनुमत किया गया जिसके परिणामस्वरूप इस सीमा तक आय का कम निर्धारण हुआ कि जिसमें ₹83.48 लाख¹⁰⁰ का कर अन्तर्गस्त था। आई.टी.डी. का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2017)।

ख. प्रभार: पीसीआईटी-2, दिल्ली

निर्धारिती: मैसर्स नोएडा मेडिकेयर सेंटर लिमि.

निर्धारण वर्ष: 2012-13 और 2013-14

पैन: AAACN0980B

₹63.80 लाख की निर्धारित आय के साथ नि.व. 2012-13 के निर्धारण की संवीक्षा मार्च 2015 में पूर्ण कर ली गई थी तथा नि.व 2013-14 में

⁹⁹ असम (1), दिल्ली (2) तमिलनाडु (3) तथा उ०प्र०(1)।

¹⁰⁰ (₹184.80 लाख पर 33.2175 प्रतिशत टैक्स अर्थात् ₹61.39 लाख एवं ₹61.39 लाख पर धारा 234बी के अंतर्गत 36 प्रतिशत ब्याज अर्थात् ₹22.10 लाख)

₹4.22 करोड़ की निर्धारित आय जिसे मई 2016 में संशोधित कर ₹3.96 करोड़ किया गया था, की संवीक्षा मार्च 2016 में की गई थी। संवीक्षा ने दर्शाया कि पूंजीगत उपस्कर के आपूर्तिकर्ता द्वारा विदेशी मुद्रा के उतार चढ़ाव के कारण विनिमय दर का अंतर आस्थगित क्रेडिट के आधार पर दर्ज किया गया था। चूंकि विनिमय दर के अंतर का भुगतान वास्तव में निर्धारिती द्वारा नहीं किया गया था, अतः यह राशि परिसंपत्तियों के मूल्य का भाग¹⁰¹ नहीं हो सकती। अतः निर्धारिती परिसंपत्तियों के जोड़ने पर विनिमय दर पर मूल्यहास का दावा करने के लिए अर्हक नहीं है। नि.व 2012-13 तथा 2013-14 में मूल्यहास की अस्वीकृत करने की चूक के कारण ₹1.46 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसमें ₹47.37 लाख का कर प्रभाव भी शामिल था। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2017)।

ग. प्रभार: पीसीआईटी-1, कोयम्बटूर, तमिलनाडु
निर्धारिती: मैसर्स वेदनायगम हॉस्पिटल लिमि.
निर्धारण वर्ष: 2013-14
पैन: AAACV9940R

निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण ₹2.52 करोड़ के मूल्यहास जिसमें संयंत्र तथा मशीनरी पर ₹2.45 करोड़ सम्मिलित है अनुमत करने के पश्चात ₹2.95 करोड़ की आय के साथ मार्च 2016 में पूर्ण किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि ₹1.48 करोड़ का मूल्यहास अनुमत योग्य था। इसके परिणामस्वरूप ₹1.05 करोड़ के अधिक मूल्यहास की अनुमति प्रदान की गई, जिसमें ₹33.96 लाख का कर प्रभाव शामिल था। विभाग इस मामले में सुधारात्मक कार्रवाई करने पर सहमत हो गया है (अक्टूबर 2016)।

4.2.2 प्रारंभिक व्ययों के परिशोधन की अनियमित अनुमति

आयकर अधिनियम की धारा 35डी के अनुसार, व्यापार आरंभ करने से पूर्व किसी भारतीय कंपनी या प्रवासी गैर-कॉरपोरेट निर्धारिती द्वारा किया गया आरंभिक व्यय, व्यापार आरंभ करने के वर्ष से शुरू होकर लगातार प्रत्येक पांच वर्षों तक कटौती के तौर पर ऐसे व्यय का पांचवां भाग परिशोधन योग्य होता है, या जैसा भी मामला हो, पिछला वर्ष जिसमें औद्योगिक उपक्रम में विस्तारण हुआ हो, या

¹⁰¹ आयकर अधिनियम की धारा 43ए प्रदान करता है कि अगर निर्धारिती भारत के बाहर किसी देश से व्यापार या पेशे के उद्देश्य के लिए एक मूल्यवान परिसंपत्ति का अधिग्रहण करता है, और इस तरह की परिसंपत्ति के अधिग्रहण के बाद, किसी भी दौरान पिछले साल विनिमय दर में बदलाव के परिणाम में भुगतान करने के समय भारतीय मुद्रा में व्यक्त निर्धारिती की देनदारी में वृद्धि या कमी होती है, दायित्व में वृद्धि या कटौती मूल्यहास योग्य संपत्ति के मूल्य में घटाया या जोड़ा जायेगा

नई औद्योगिक यूनिट में उत्पादन या प्रचालन आरंभ हो गया हो। नीचे वर्णित मामले में ऐसे व्यय के पांचवे भाग की अपेक्षा सम्पूर्ण आरंभिक व्यय कटौती के रूप में अनुमत किया गया।

बॉक्स 4.2: आरंभिक व्ययों के परिशोधन की अनियमित अनुमति।

क. प्रभार: पीसीआईटी, नोएडा, उत्तर प्रदेश

निर्धारिती: मैसर्स जेपी हेल्थकेयर, नोएडा

निर्धारण वर्ष: 2013-14

पैन: AACCCJ9811D

निर्धारण वर्ष 2013-14 के निर्धारण रिकॉर्ड की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारण के दौरान (फरवरी 2016), आय शून्य निर्धारण करने से पूर्ण निर्धारिती को ₹1.01 करोड़ के आरंभिक व्यय की अनुमति दी गई थी। तथापि, यह देखा गया कि वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान निर्धारिती द्वारा किया गया कुल आरंभिक व्यय ₹1.01 करोड़ था, जबकि उक्त आरंभिक व्यय का पांचवां भाग ₹20.27 लाख ही निर्धारिती को अनुमत करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार ₹81.10 लाख (₹101.37 लाख- ₹20.27 लाख) के नुकसान की अति गणना के कारण ₹25.05 लाख के संभाव्य कर का नुकसान हुआ। विभाग ने कहा कि मामले की जांच होगी। आगे के घटनाक्रम से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया है (अप्रैल 2017)।

4.3 व्यवसाय व्यय की अनियमित अनुमति

आयकर अधिनियम की धारा 37 ऐसे व्यय की कटौती की अनुमति देती है जो राजस्व प्रकृति के हों तथा, विशेषरूप से व्यापार या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए हो। लेखापरीक्षा ने देखा कि 10 राज्यों¹⁰² (परिशिष्ट 8) के 23 मामलों में, नि.अ द्वारा प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए व्यापार व्ययों की अनुमति प्रदान की गई, जिसमें ₹3.62 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था ये तीन मामले निम्नानुसार हैं (देखें बॉक्स 4.3):

¹⁰² आंध्र प्रदेश व तेलंगाणा (4), असम (7), दिल्ली (2), झारखंड (1), केरल (2), महाराष्ट्र (2), राजस्थान (1), तमिलनाडु (1), उत्तर प्रदेश (2) पश्चिम बंगाल (1)।

बॉक्स : 4.3: व्यापार व्यय की अनियमित अनुमति के निदर्शी मामले

क. प्रभार: पीसीआईटी-1, कोच्चि, केरल

निर्धारिती: एस्टर डीएम हेल्थकेयर (प्रा.) लिमि.

निर्धारण वर्ष: 2012-13

पैन: AACCD7912K

मार्च 2015 में ₹6.11 करोड़ के घाटे के साथ निर्धारण संवीक्षा पूर्ण की गई। यह देखा गया कि निर्धारण के दौरान ₹6.63 करोड़ के कानूनी तथा पेशेवर व्यय/व्यापार सम्बर्धन व्यय जो नए निवेश (अस्पताल) के अधिग्रहण के सम्बंध में की गई थी तथा जो पूंजीगत प्रकृति की थी, उसकी अनुमति दी गई थी। अनियमित अनुमति के कारण ₹2.15 करोड़ का संभाव्य कर प्रभाव हुआ। आयकर विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है। (अप्रैल 2017)

ख. प्रभार: पीसीआईटी-2, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना

निर्धारिती: मैसर्स हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनकॉलोजी प्रा. लि.

निर्धारण वर्ष: 2012-13

पैन: AACCH3376D

जून 2014 में 'शून्य' आय पर निर्धारण पूर्ण किया गया था जिसे बाद में धारा 154 के अंतर्गत सुधारा गया तथा एमएटी (मैट) के अंतर्गत ₹4.62 करोड़ की आय निर्धारित की गई। पूंजीगत माल खरीदने पर विदेशी मुद्रा के उतार चढ़ाव के कारण ₹1.34 करोड़ की हानि का दावा किया तथा राजस्व व्यय के रूप में अनुमति दी गई। इसके कारण अनुमत मूल्यहास की कटौती के पश्चात ₹80.33 लाख के राजस्व की गलत अनुमति प्रदान की गई। संभाव्य कर की गणना ₹24.82 लाख हुई। सितंबर 2016 में आयकर अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत इस निर्धारण को विभाग ने सुधारा है।

ग. प्रभार: पीसीआईटी, त्रिवेंद्रम, केरल

निर्धारिती: मैसर्स पीआरएस हॉस्पिटल

निर्धारण वर्ष: 2010-11

पैन: AADFP4651M

मैसर्स पीआरएस हॉस्पिटल का निर्धारण मार्च 2013 में संवीक्षा के पश्चात पूर्ण किया गया, जिसमें ₹2.98 करोड़ की आय निर्धारित की गई, इसमें ₹57.05 लाख का पूर्वावधि व्यय भी शामिल किया गया जो कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अनुमत नहीं था। इसमें ₹17.63 लाख का कर प्रभाव शामिल था। मार्च 2016 में विभाग द्वारा इसे सुधारा गया।

4.4 स्रोत पर कर की कटौती न करना (टीडीएस)

धारा 40 (ए)(i) के अनुसार कोई ब्याज, कमीशन या ब्रोकरेज (किराया, रॉयल्टी), पेशेवर या तकनीकी सेवाओं की फीस, या ठेकेदार या उप-ठेकेदार आदि को देय राशि, जैसा उसमें विवरण किया गया है, जिस पर स्रोत पर कर की कटौती हुई हो या न हुई हो या कटौती के पश्चात, निश्चित तारीख तक या पहले भुगतान न हुआ हो, उसे आय की गणना करते समय व्यय के रूप में नहीं गिना जाएगा।

लेखापरीक्षा ने आठ राज्यों¹⁰³ में ऐसे तेरह मामले देखे जिनमें निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन नि.अ, ने ऐसे व्यय को अनुमति दी जिनमें टीडीएस की कटौती नहीं हुई, जिसके कारण ₹2.66 करोड़ के कर की हानि हुई। ऐसे दो मामलों का वर्णन निम्नानुसार है (बॉक्स 4.4)

बॉक्स: 4.4 टीडीएस की कटौती न किए गए निदर्शी मामले

क. प्रभार: पीसीआईटी- 16, मुंबई, महाराष्ट्र

निर्धारिती: श्री सुधांशु एस भट्टाचार्य

निर्धारण वर्ष: 2012-13

पैन: AABPB4376R

मार्च 2015 की संवीक्षा के पश्चात निर्धारिती, एक चिकित्सीय पेशेवर, जिसकी आय ₹18.56 करोड़ निर्धारित की गई थी, उसने ₹42.55 लाख के पेशेवर व्यय, जिस पर टीडीएस नहीं काटा गया था का दावा किया तथा जिसकी अनुमति भी दे दी गई। इसके कारण उसकी आय का निर्धारण कम हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹13.15 लाख का कर कम लगाया गया। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है। (अप्रैल 2017)

ख. प्रभार: पीसीआईटी, रांची, झारखंड

निर्धारिती: छोटा नागपुर रीजनल हैडलूम वीवर कॉरपोरेशन यूनियन, आईआरबीए, (रांची)

निर्धारण वर्ष: 2013-14

पैन: AAAAT5001D

₹1.56 करोड़ की निर्धारित आय पर फरवरी 2015 में निर्धारण पूर्ण किया गया। हॉस्पिटल सेवाओं के व्यवसाय में लगे निर्धारिती ने, नि.व. 2013-14 के संबंध में वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान मैसर्स एसएसएस लि. को 'श्रम प्रभार' के रूप में

¹⁰³ आंध्रप्रदेश एवं तेलंगाना (1), बिहार (1), हरियाणा (1), झारखंड (1), महाराष्ट्र (3), उत्तर प्रदेश (3) और पश्चिम बंगाल (2)।

₹1.01 करोड़ का भुगतान किया, लेकिन केवल ₹30.78 लाख के प्रति टीडीएस की कटौती की गई। इस प्रकार, धारा 40 (ए) (i) के अंतर्गत ₹70.16 लाख (₹1.01 करोड़ - ₹30.78 लाख) की राशि अस्वीकृत की जानी चाहिए थी, लेकिन निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की आय में ₹70.16 की जगह ₹40.24 लाख ही जोड़े। इस चूक के परिणामतः ₹29.92 लाख (₹70.16 लाख - ₹40.24 लाख) के व्यय की अनियमित अनुमति के फलस्वरूप ₹9.24 लाख की राशि का कम कर लगाया गया। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है। (अप्रैल 2017)

4.5 न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) संबंधी अनियमितताएं:

यदि सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत कुल आय पर देय कर कुछ विशेष निर्धारित गणना के बाद बही-लाभ के प्रतिशत से कम आता है तो धारा 115 जेबी बही-लाभ की निर्धारित दर पर मैट लगाने का प्रावधान करता है।

लेखापरीक्षा को चार राज्यों¹⁰⁴ में ऐसे पांच मामले (परिशिष्ट 10) देखने को मिले जहां निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 115 जे बी के अंतर्गत आय का निर्धारण सही नहीं किया था, जिसके कारण ₹4.66 करोड़ की कर हानि हुई। दो मामलों का विवरण निम्नानुसार है (देखें बॉक्स 4.5)।

बॉक्स 4.5: न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) संबंधी अनियमितताओं के निदर्शों के मामले।

क. प्रभार: पीसीआईटी-2, बंगलूरु, कर्नाटक
निर्धारिती: मैसर्स मनिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज प्रा०लि०
निर्धारण वर्ष: नि.व 2013-14
पैन: AAGCM5933R

मार्च 2016 में निर्धारिती की ₹67.41 करोड़ की निर्धारित आय का संवीक्षा निर्धारण किया गया, देय कर की गणना करते समय ₹2.39 करोड़ की राशि का मैट क्रेडिट का दावा किया जो कि निर्धारण आदेश में अनुमत किया गया था। तथापि नि.व. 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान निर्धारिती की आय का निर्धारण आयकर अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत किया गया तथा तदनुसार कर की गणना की गई। नि.व. 2013-14 के लिए निर्धारिती के पास दावा करने के लिए मैट क्रेडिट अनुपलब्ध था। इसके परिणामस्वरूप मैट क्रेडिट की अनियमित अनुमति से ₹3.25 करोड़ कम कर लगाया गया। विभाग ने

¹⁰⁴ आंध्र प्रदेश व तेलंगाणा (1), कर्नाटक (1), तमिलनाडु (2) तथा पश्चिम बंगाल (1)।

बताया (अगस्त 2016) कि निर्धारिती ने पिछले निर्धारण वर्ष में जबकि मैट के अंतर्गत ₹2.38 करोड़ के कर का भुगतान किया तब अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹33.84 लाख का कर देय था। अतः ₹2.38 करोड़ के शेष मैट क्रेडिट का समायोजन किया जाना था। यह उत्तर स्वाकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा नि.वि. 2011-12 तथा 2012-13 के संबंध में धारा 143 (3) के अंतर्गत निर्धारिती के निर्धारण आदेश के स्थान पर संगणना विवरण को अपनाया था।

ख. प्रभार: पीसीआईटी-4, चैन्नई तमिलनाडु
निर्धारिती: मैसर्स मेडल हेल्थकेयर प्रा०लि०
निर्धारण वर्ष: 2013-14
पैन: AABCP 9015E

मार्च 2016 के दौरान ₹11.51 करोड़ की हानि पर संविक्षा निर्धारण पूर्ण किया गया। सामान्य प्रावधानों के अनुसार (धारा 115जेबी लागू किए बिना) आय की गणना करते समय, छूट प्राप्त आय से संबंधित व्यय के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 14ए के अंतर्गत ₹2.33 करोड़ की आय अस्वीकृत की गई। तथापि आयकर अधिनियम की धारा 115 जेबी के अंतर्गत बही लाभ की गणना करते हुए, उक्त व्यय पर विचार नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, बही-लाभ की गणना करते समय, ₹1.08 करोड़ की सही राशि जोड़ने के स्थान पर गलती से ₹2.64 करोड़ की अग्रणीत हानि जोड़ी गई। इन त्रुटियों के कारण ₹3.89 करोड़ का बही-लाभ कम गिना गया और ब्याज सहित ₹1.06 करोड़ के मैट (एमएटी) की हानि हुई। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है। (अप्रैल 2017)

4.6 अग्रणीत हानियों के समंजन संबंधी अनियमितताएं:

धारा 72 के अंतर्गत आगामी नि.व में जहां संबंधित वर्ष के किसी भी शीर्ष के अंतर्गत आय के प्रति हानि का पूर्णरूपेण समंजन नहीं किया गया है, जिस सीमा तक उसे संमंजित नहीं किया गया हो, उसे अग्रणीत हानि का समंजन करने हेतु प्रावधान है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि छह राज्यों¹⁰⁵ में आठ मामलों (परिशिष्ट 11) में जिनमें नि.अ. ने प्रस्तुत प्रावधानों को उल्लंघन करते हुए हानियों का समंजन किया,

¹⁰⁵ गुजरात (2), कर्नाटक (1), महाराष्ट्र (1), तमिलनाडु (1), उत्तर प्रदेश (1) तथा पश्चिम बंगाल (1)।

जिसमें ₹15.62 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। दो मामलों का वर्णन नीचे किया जा रहा है (देखें बॉक्स 4.6):

बॉक्स 4.6: अग्नेनीत हानियों के समंजन के निदर्शी मामले।

क. प्रभार: पीसीआईटी-1, कोयम्बटूर, तमिलनाडु

निर्धारिती: मैसर्स गंगा मेडिकल सेंटर एंड हॉस्पिटल (प्रा.) लि.

निर्धारण वर्ष: 2010-11

पैन: AABCG8283F

मार्च 2013 के दौरान कंपनी का निर्धारण संशोधित आय विवरणी तथा ₹3.57 करोड़ की अग्नेनीत हानि के समायोजन के पश्चात ₹0.65 करोड़ निर्धारित आय पर पूर्ण किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह पाया गया कि संशोधित आय विवरणी में, निर्धारिती द्वारा ₹2.22 करोड़ का अनवशोषित मूल्यहास शामिल किया था, जिसे सकल आय में से घटा कर कराधान योग्य आय प्राप्त की गई थी। इसके अतिरिक्त, कुल आय में से ₹3.57 करोड़ की अग्नेनीत हानि गलती से घटाई गई थी, यद्यपि वहां कोई अग्नेनीत हानि उपलब्ध नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप ₹3.57 करोड़ की अतिरिक्त अग्नेनीत हानि के समंजन के कारण ₹1.21 करोड़ का कर कम लगाया गया।

ख. प्रभार: पीसीआईटी, (सेंट्रल सर्कल) बंगलूरु, कर्नाटक

निर्धारिती: मैसर्स श्री श्रीनिवास एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट

निर्धारण वर्ष: 2012-13

पैन: AAGCS0925B

निर्धारण रिकॉर्ड की संवीक्षा करने पर यह पाया गया कि ₹43.74 करोड़ की आय के साथ आयकर अधिनियम की धारा 153ए¹⁰⁶ के अतर्गत नि.व 2012-13 के लिए जनवरी 2016 में निर्धारण आदेश पारित करते समय, नि.व. 2011-12 के लिए ₹1.68 करोड़ के नुकसान का समंजन पहले ही कर लिया गया था। तथापि सुधार आदेश पारित करते समय, नि.व. 2011-12 से सम्बंधित ₹12.41 करोड़ के नुकसान का समंजन किया गया था, जिसमें ₹1.68 करोड़ का नुकसान पुनः शामिल किया गया था। इससे ₹1.68 करोड़ की हानि का दो बार समंजन हुआ जो अनियमित था। इसके परिणामस्वरूप ₹54.38 लाख के कर के सम्भावित कम उदग्रहण के साथ ₹1.68 करोड़ की हानि का अधिक समंजन हुआ। आयकर विभाग द्वारा सितम्बर 2016 में धारा 154 के अतर्गत सुधारात्मक कार्यवाही आरंभ कर दी गई है।

¹⁰⁶ आयकर अधिनियम की धारा 143 (3) के साथ पढ़ें।

4.7 शास्ति न लगाना

लेखापरीक्षा ने सात राज्य¹⁰⁷ में सात मामलों (परिशिष्ट-12) में जहां धारा 269 एसएस तथा 269 टी के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु धारा 271सी¹⁰⁸ तथा 271डी¹⁰⁹ के अंतर्गत शास्ति लगाई जानी चाहिए थी के मामले देखें, इन मामलों में शास्ति के न लगाए जाने के परिणामस्वरूप ₹2.18 करोड़ का कर प्रभाव हुआ। ऐसे दो मामलों को नीचे (बॉक्स 4.7) उदाहरण के साथ दर्शाया गया है।

बॉक्स 4.7: शास्ति न लगाने की अनियमितताओं के निदर्शी मामले

क. प्रभार: पीसीआईसी-1 (कॉरपोरेट) कोच्ची, केरल

निर्धारिती: मैसर्स मोलिक्यूल 7 हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल इंस्टिट्यूशन प्रा.लि.

निर्धारण वर्ष: 2012-13

पैन: AACCD7912K

मार्च 2015 में शून्य आय के साथ निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किया गया था। निर्धारण वर्ष के सुसंगत पिछले वर्ष के दौरान, निर्धारिती ने बैंक तथा नकद दोनों रूपों में ₹80.69 लाख की रकम स्वीकार की थी तथा ₹74.74 लाख का पुनर्भुगतान नकद तथा बैंक को किया। चूंकि दोनों लेनदेन खाते में देय चैक या खाते में भुगतान किए जाने वाले ड्राफ्ट के बिना किये गये (क्रमशः धारा 269एसएस तथा धारा 269टी¹¹⁰ अनुसार अपेक्षित) इसलिए क्रमशः धारा 271 डी के अंतर्गत ₹80.69 लाख तथा धारा 271 ई के अंतर्गत ₹74.74 लाख की शास्ति लगाई जानी थी। तथापि नि.अ. ने ऐसी कोई शास्ति नहीं लगाई। विभाग की ओर से उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2017)।

¹⁰⁷ दिल्ली (2), गुजरात (1), महाराष्ट्र (1), केरल (1), राजस्थान, तमिलनाडु (1) तथा पश्चिम बंगाल (1)।

¹⁰⁸ आयकर अधिनियम की धारा 271 सी के प्रावधान के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति कर अध्याय XVII बी के प्रावधानों के अंतर्गत या धारा 115 ओ की उप-धारा (2) द्वारा या उसके अंतर्गत किसी भाग का भुगतान करने या धारा 192 बी के दूसरे प्रावधान के अंतर्गत पूरे कर या उसके किसी भाग में कटौति करने में विफल रहता है तो, ऐसा व्यक्ति दंडस्वरूप कर की उस राशि के समान राशि की शास्ति का भुगतान करेगा, जिसका उस व्यक्ति द्वारा भुगतान न किया गया हो या वह कटौती करने में विफल रहा हो।

¹⁰⁹ आयकर अधिनियम की धारा 269 एसएस के अन्तर्गत कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से यदि राशि ₹20,000 या अधिक है, खाता देय चैक अथवा खाता देय बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के उपयोग को छोड़कर किसी ऋण अथवा जमा की राशि नहीं लेगा अथवा नहीं स्वीकार करेगा। इसके अननुपालन पर धारा 271 डी के अन्तर्गत राशि के बराबर शास्ति लगाई जाएगी।

¹¹⁰ आयकर अधिनियम की धारा 269 टी के अन्तर्गत किसी बैंकिंग कम्पनी या सहकारी बैंक की शाखा द्वारा, और कोई अन्य कंपनी या सहकारी सोसाइटी और कोई फर्म या कोई अन्य व्यक्ति ₹20000 या उससे अधिक राशि के ऋण का पुनर्भुगतान या जमा कराने के लिए खाते में देय चैक या जिस व्यक्ति को ऋण या जमा राशि प्राप्त हुई हो उसके नाम का खाते में जमा होने वाला ड्राफ्ट या बैंक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम द्वारा ही लेन देन किया जा सकता है।

ख. प्रभार : सीआईटी-4 अहमदाबाद, गुजरात
निर्धारिती- सत्यमेव हॉस्पिटल्स प्रा. लि.
निर्धारण वर्ष: 2013-14
पैन: AAMCS4193B

निजी अस्पताल के व्यवसाय में लगे निर्धारिती ने नि.व. 2013-14 के लिए आयकर रिटर्न (अक्तुबर 2013) जमा की, जिसमें ₹1.97 करोड़ का कुल नुकसान दर्शाया। आयकर अधिनियम की धारा 144 के अंतर्गत ₹1.71 करोड़ के घाटे के साथ आय निर्धारित की गई (फरवरी 2016)। कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में यह देखा गया कि निर्धारिती द्वारा एक व्यक्ति को ₹36.52¹¹¹ लाख की राशि का भुगतान बैंक खाते में देय चेक या खाते में देय ड्राफ्ट के द्वारा नहीं किया गया। किंतु आयकर अधिनियम की धारा 269 टी¹¹² के अंतर्गत किसी प्रकार की शास्ति लगाने की प्रक्रिया आरंभ नहीं की गई। ऐसा करने में विफल रहने के कारण ₹35.52 लाख की शास्ति नहीं लगाई जा सकी। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2017)।

4.8 पूंजीगत अभि लाभ/हानि की गलत गणना

अधिनियम की धारा 45 में प्रावधान है कि किसी पूंजीगत परिसंपत्तियों के हस्तान्तरण से हुई किसी भी प्रकार के लाभ या अभिलाभ पर पूंजीगत लाभ शीर्ष के अंतर्गत आयकर का भुगतान किया जाएगा। अधिनियम की धारा 50 बी प्रावधान करती है कि स्लम्प सेल¹¹³ से हुये किसी भी प्रकार के लाभ या अभिलाभ पर उसी प्रकार आयकर देय होगा जैसे लंबी अवधि की पूंजीगत परिसंपत्तियों के हस्तान्तरण से प्राप्त होने वाले लाभ पर देय होता है। अधिनियम की धारा 54एफ प्रावधान करती है कि आवासीय घर में निवेश के मामले में कुछ विशिष्ट पूंजीगत परिसंपत्तियों के हस्तान्तरण पर पूंजीगत लाभ प्रभारित नहीं किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि छह राज्यों¹¹⁴ में आठ मामलों (परिशिष्ट 13) में जहां निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आय पर विचार नहीं किया गया, इसमें

¹¹¹ श्री जयेश संदेसरा, अहमदाबाद (पैन AKUPS3647M)

¹¹² धारा 271 ई के साथ पठित आयकर अधिनियम की धारा 269 टी, के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ₹20,000 से अधिक राशि के ऋण का पुनर्भुगतान रेखित खाता चेक या डिमांड ड्राफ्ट के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करता है तो, ऋण या पुनर्भुगतान की गई राशि के बराबर की रकम, शास्ति के रूप में देय होगी।

¹¹³ आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत, ऐसी बिक्री में जिसमें एकल परिसंपत्तियों तथा देयताओं को कीमत नियत किए बिना एक मुश्त बिक्री के परिणामस्वरूप, एक या एक से अधिक परिसंपत्तियों के हस्तान्तरण को 'स्लम्प सेल' कहा जाता है।

¹¹⁴ आंध्र प्रदेश व तेलंगाणा (1), दिल्ली (1), कर्नाटक (1), महाराष्ट्र (1), तमिलनाडु (2) तथा पश्चिम बंगाल (2)।

₹2.96 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है। तीन मामले नीचे वर्णित किए जा रहे हैं (देखें बॉक्स 4.9)

बॉक्स 4.8: पूँजीगत अभि लाभ/हानि की गलत गणना के निदर्शी मामले

क. प्रभार: पीसीआईटी-21, दिल्ली

निर्धारिती: डॉ० जवाहर लाल चक्रवर्ती

निर्धारण वर्ष: 2012-13

पैन: AABPC8294M

वर्तमान मामले में निर्धारिती जिसका निर्धारण ₹76.42 लाख, की निर्धारित आय पर मार्च 2016 में पूर्ण हुआ था, ने गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियां बेची तथा ₹6.95 करोड़ का पूँजीगत लाभ कमाया। आयकर अधिनियम की धारा 54एफ¹¹⁵ के अंतर्गत इस पूँजीगत अभि लाभ का दावा किया गया और छूट अनुमत की गई क्योंकि निर्धारिती ने ₹10.50 करोड़ की एक आवासीय संपत्ति खरीदी। निर्धारिती के पास एक से अधिक संपत्ति थी, एक नई दिल्ली में उसका आवास¹¹⁶ तथा ओखला¹¹⁷ में एक अन्य संपत्ति थी, जिस पर 'गृह संपत्ति से आय' प्राप्त कर रहा था। अतः आयकर अधिनियम की धारा 54एफ के अंतर्गत उसे छूट प्रदान नहीं की जा सकती। इस मामले को अस्वीकृत न करने के कारण ₹6.95 करोड़ के पूँजीगत अभि लाभ की कम निर्धारण हुआ परिणामस्वरूप ₹1.95 करोड़ के कर तथा ब्याज का कम उदग्रहण हुआ। दिसंबर 2016 में लेखापरीक्षा आपत्ति विभाग को सूचित की गयी थी; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2017)।

ख. प्रभार: पीसीआईटी-16, मुंबई, महाराष्ट्र

निर्धारिती: डॉ. गौतम एन. अलाहबादिया

निर्धारण वर्ष: 2012-13

पैन: AAAPA9976F

निर्धारिती, जिसकी आय मार्च 2015 में ₹6.43 करोड़ पर निर्धारित की गई थी, के पास जून 2011 में बांद्रा, मुंबई में ₹3.90 करोड़ कीमत का एक फ्लैट था तथा आयकर अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत ₹2.09 करोड़ की छूट का

¹¹⁵ आयकर अधिनियम 54एफ के अंतर्गत किसी व्यक्ति का किसी एचयूएफ जिसने रिहायशी घर के अतिरिक्त कोई दीर्घ अवधि पूँजीगत परिसंपत्ति अंतरित की हो, जो निर्धारिती द्वारा अंतरण की तारीख से एक वर्ष पूर्व या अंतरण की तारीख के दो वर्ष बाद या एक रिहायशी घर के अंतरण की तारीख के 3 वर्ष बाद निर्माण किया गया हो, छूट प्रदान की जाती है। निर्धारिती के पास वास्तविक परिसंपत्ति के अंतरण की तारीख पर एक रिहायशी घर (नये घर के अतिरिक्त) कोई परिसंपत्ति नहीं होनी चाहिए।

¹¹⁶ 38/61, पंजाबी बाग, नई दिल्ली

¹¹⁷ डी-170, ओखला

दावा किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह पता चला कि निर्धारिती ने जून 2012 में बांद्रा में ₹6.06 करोड़ की कीमत का एक अन्य फ्लैट खरीदने हेतु ₹1.25 करोड़ बतौर बुकिंग राशि का भुगतान किया तथा बिल्डर ने निर्धारिती को उक्त फ्लैट आबंटित भी कर दिया, यद्यपि न तो अनुबंध पंजीकृत हुआ और न ही स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया गया। चूंकि पुराने फ्लैट की ब्रिकी के दो वर्षों के बाद तक कोई नई परिसंपत्ति का क्रय नहीं किया गया था, इसलिए निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत छूट का अर्हक नहीं था। छूट के दावे को अस्वीकृत न करने की चूक के परिणामस्वरूप धारा 234 बी के अंतर्गत ₹15.48 लाख के ब्याज सहित ₹58.49 लाख के परिणामी अल्प कर उदग्रहण के साथ ₹2.09 करोड़ 'दीर्घ अवधि पूंजीगत अभि लाभ' का अल्पनिर्धारण हुआ। इस मामले को विभाग के सजांन में लाया गया (फरवरी 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2017)।

ग. प्रभार: पीसीआईटी 8, कोलकाता, पश्चिम बंगाल

निर्धारिती: पूर्णेन्दू रॉय

निर्धारण वर्ष: 2013-14

पैन: ADKPR4048L

इस मामले में निर्धारिती जिसकी आय मार्च 2016 में की ₹1.33 करोड़ की आय निर्धारित की गई वि.व. 2011-12 में प्रॉपर्टी (फ्लैट) खरीदने हेतु बंगाल युनिटेक युनिवर्सल को ₹93.33 लाख का अग्रिम भुगतान किया, किंतु इसे बाद में वि.व. 2012-13 के दौरान ₹1.40 करोड़ का बेचा गया। तुलनपत्र की अनुसूची 5 (वर्तमान परिसंपत्तियां- ऋण व अग्रिम), के अनुसार 31.3.13 को, निर्धारिती ने 31 मार्च 2012 तक 'बंगाल युनिटेक युनिवर्सल' से फ्लैट खरीदने हेतु ₹77.15 लाख का अग्रिम भुगतान किया। तथापि यह फ्लैट 'स्थायी परिसंपत्ति अनुसूची' के प्रारंभिक शेष में दर्शायी नहीं गई थी तथा 'स्थायी परिसंपत्तियों' के अंतर्गत उससे सम्बन्धित कोई वृद्धि नहीं की गई थी। इससे यह पता चलता है कि यह फ्लैट निर्धारिती को हस्तांतरित नहीं किया गया। तथापि फ्लैट के संबंध में कुल आय की गणना करते समय दीर्घ अवधि पूंजीगत अभि लाभ ₹9625 (आयकर अधिनियम के अनुसार सूचीकरण करने के पश्चात) माना गया था। इस प्रकार निर्धारिती द्वारा फ्लैट बुक करना तथा अप्रत्याशित लाभ कमाने हेतु पूरे होने/डिलीवरी से पूर्व फायदे पर बेच देना, यह लेन-देन उद्यम या व्यापार था तथा यह लेन-देन लघु अवधि पूंजीगत लाभ के रूप में अनुमत था। दोनों मामले में, ₹46.57 लाख¹¹⁸ की आय का कम निर्धारण हुआ जिससे ₹14.39 लाख के कर का कम प्रभार हुआ। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2017)।

¹¹⁸ ₹1.40 करोड़ घटाओ ₹93.33 लाख घटाओ ₹9,625

4.9 निर्धारण से बची आय

आयकर अधिनियम की धारा 5 के अनुसार किसी व्यक्ति की कुल आय में किसी भी पिछले वर्ष की सारी आय शामिल होती है, चाहे वह किसी भी स्रोत से प्राप्त हुई हो, जो प्राप्त हुई है या प्राप्त होने वाली है या वह पिछले वर्ष में प्राप्त हुई है, जब तक उसे आयकर अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत कराधान से छूट न दी गई हो।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 11 राज्यों¹¹⁹ के 22 मामलों में (परिशिष्ट-14), आय की गणना निर्धारित प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई, जिसके कारण ₹2.80 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। दो मामलों का विवरण नीचे दिया गया है (देखें बॉक्स 4.9):

बॉक्स 4.9: निर्धारण से बची आय के निदर्शी मामले

क. प्रभार: पीसीआईटी-5, चेन्नई, तमिलनाडु

निर्धारिती: मैसर्स प्राईमेक्स स्कैनस एंड लेब्स प्रा. लि.

निर्धारण वर्ष: 2013-14

पैन: AAGCP2852F

निर्धारिती एक घनिष्ठ धारित कंपनी, का संवीक्षा निर्धारण ₹2.94 करोड़ की निर्धारित हानि के साथ फरवरी 2016 में पूर्ण किया गया। लेखापरीक्षा जांच में यह पता चला कि निर्धारिती द्वारा ₹3.65 करोड़ के प्रीमियम पर शेयर जारी किए गए। तथापि मूल्यांकन रिपोर्ट¹²⁰ के अनुसार शेयरो का उचित बाजार मूल्य केवल ₹2.41 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(viiib)¹²¹ के उल्लंघन में उचित बाजार मूल्य से ₹1.24 करोड़ अधिक प्रीमियम पर शेयर जारी किए गए, परिणामस्वरूप ₹38.23 लाख का संभावित कर प्रभाव हुआ। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2016) कि लेखापरीक्षा आपत्ति पर ध्यान दिया जाएगा।

¹¹⁹ आंध्र प्रदेश व तेलंगाना (2), असम (1), बिहार (1), दिल्ली (1), हरियाणा (1), महाराष्ट्र (7), राजस्थान (2), तमिलनाडु (1), उत्तर प्रदेश (4) तथा पश्चिम बंगाल (1)।

¹²⁰ निर्धारिती द्वारा नकदी आयजन्य निवेश पद्धति अपनाई गई।

¹²¹ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56 (2) (viiib) के अनुसार, जहां कंपनी, ऐसी कंपनी के रूप में नहीं जिसमें जनता पर्याप्त रूप से दिलचस्पी लेती हो, पिछले वर्ष में प्राप्त, निवासी व्यक्ति से, प्राप्त हो जिसमें शेयरों की कीमत अंकित मूल्य से अधिक दर पर शेयर जारी करने का प्रस्ताव हो।

ख. प्रभार: पीसीआईटी-7, मुम्बई

निर्धारिती: एसआरएल डायग्नॉस्टिक्स प्रा०लि०

निर्धारण वर्ष: 2013-14

पैन: AAAC9117E

मार्च 2016 में ₹4.01 करोड़ के घाटे के साथ निर्धारण पूर्ण किया गया। आय की गणना करते समय निर्धारण रिकॉर्ड से यह पता चला, कि आयकर अधिनियम की धारा 14ए¹²² के अन्तर्गत निर्धारिती को ₹1.33 करोड़ की राशि अस्वीकृत की गई थी। तथापि अस्वीकरण की गणना करते समय यह देखा गया कि आयकर नियम 8डी¹²³ के अनुसार परिसंपत्ति के निवल मूल्य की अपेक्षा एकल मूल्य अपनाया गया था। जिसके परिणामतः अस्वीकृत की जानी वाली राशि ₹3.12 करोड़ थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.79 करोड़ की आय कम अस्वीकृत हुई तथा ₹35.80 लाख के कर का कम उदग्रहण हुआ। विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। (अप्रैल 2017)।

4.10 निर्धारण के दौरान अन्य त्रुटियाँ:

लेखापरीक्षा ने दस राज्यों¹²⁴ में (परिशिष्ट 15) विविध प्रकृति जैसे ब्याज व्यय की अनियमित अनुमति, आय की गणना में त्रुटि, अनंतिम व्ययों की अनुमति, ब्याज के उदग्रहण में त्रुटि, आदि में ₹14.42 करोड़¹²⁵ की कर वाले 24 मामले देखे। उदाहरण सहित 3 मामलों का विवरण निम्नानुसार है (देखें बॉक्स 4.10):

¹²² धारा 14ए के अनुसार निर्धारिती द्वारा किए गए ऐसे किसी भी व्यय की कटौती नहीं की जा सकती जो अधिनियम के अंतर्गत निर्धारिती की कुल आय का भाग न हो।

¹²³ नियम 8डी के अंतर्गत आय में छूट से संबंधित व्यय की गणना की यहधति आती है।

¹²⁴ आंध्र प्रदेश व तेलंगाना (2), बिहार (1), दिल्ली (4), हरियाणा (1), कर्नाटक (1), केरल (2), महाराष्ट्र (1), तमिलनाडु (5), उत्तर प्रदेश (2) तथा पश्चिम बंगाल (3)।

¹²⁵ कुल कर को कम करके बताना ₹909.55 लाख, तथा बढ़ाया गया कर ₹532.44 लाख।

बॉक्स 4.10: निर्धारण के दौरान अन्य त्रुटियों के निदर्शी मामले**प्रभार: पीसीआईटी-4, चैन्नई, तमिलनाडु****निर्धारिती: मैसर्स मैडाल हेल्थकेयर प्रा०लि०****निर्धारण वर्ष: 2013-14****पैन: AABCP9015E**

निर्धारण मार्च 2016 में ₹11.51 करोड़ के घाटे के साथ पूर्ण हुआ। यह देखा गया कि निर्धारिती ने ₹54.46 करोड़ की राशि ब्याज रहित अग्रिम अपनी अनुषंगी कंपनी तथा स्टेप डाउन कंपनी¹²⁶ को प्रदान किया जबकि ₹8.46 करोड़ की राशि ब्याज व्यय पर खर्च की गई। अतः ₹13.29 करोड़ की कुल वित्त लागत में से ₹6.13 करोड़ के आनुपातिक ब्याज व्यय को अस्वीकृत किया जाना था, चूँकि इस ऋण को निर्धारिती कंपनी की परिसंपत्तियों के लिए उपयोग में नहीं लाया गया था, इसके परिणामस्वरूप व्यावसायिक आय की गणना ₹6.13 करोड़ से कम रह गई। इसके परिणामस्वरूप ₹1.90 करोड़ के संभाव्य कर की हानि हुई। विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी।

ख. प्रभार: पीसीआईटी-छूट, बेंगलुरु, कर्नाटक**निर्धारिती: मै. गोकुल एजुकेशन फाउंडेशन (मेडिकल)****निर्धारण वर्ष: 2011-12****पैन: AAATG1779Q**

निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण ₹30.48 करोड़ की आय पर मार्च 2014 में पूरा किया गया था। यह पाया गया था कि निर्धारण आदेश के पैरा 7.7 के अनुसार, भारत के बाहर किया गया ₹1.80 करोड़ का व्यय अस्वीकृत था और कुल आय में वापस जोड़ दिया गया था। यद्यपि, निर्धारण आदेश को अंतिम रूप देते समय, इसे अस्वीकृत करना ध्यान में नहीं रखा गया था। उक्त की अस्वीकृति की चूक के कारण आय की कम गणना की गई और परिणामस्वरूप ₹66.22 लाख के कर का कम उद्ग्रहण किया गया। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (मार्च 2017)।

¹²⁶ स्टेप डाउन कंपनी अर्थात् किसी कंपनी वह अनुषंगी कंपनी जो किसी अन्य कंपनी की अनुषंगी हो।

ग. प्रभार: पीसीआईटी-4, कोलकाता

निर्धारिती: फोनिक्स कार्डियो केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2013-14

पैन: AABCE4709J

वर्तमान मामले में ₹39.40 लाख की निर्धारित आय के साथ मार्च 2016 में निर्धारण पूरा किया गया था। यह पाया गया कि नि.व 2013-14 के विगत वर्ष के दौरान, ₹940 प्रत्येक (अंकित मूल्य: ₹10 प्लस शेयर प्रीमियम: ₹930 प्रति शेयर) की दर पर 6300 शेयर निर्धारिती ने जारी किये। इसके विपरीत, लेखापरीक्षा ने ₹205¹²⁷ प्रति शेयर का उचित बाजार मूल्य निर्धारित किया¹²⁸ जिसके परिणामस्वरूप शेयर प्रीमियम के उचित बाजार मूल्य के प्रति ₹735 प्रति शेयर (₹940 कम ₹205) की अधिकता हुई। इसलिए, ₹46.30 लाख (6300 शेयरों के लिए ₹735) को निर्धारिती की कुल आय में आईटी अधिनियम की धारा 56(2)(viiख)¹²⁹ के अंतर्गत वापस जोड़ने की आवश्यकता थी। ऐसा न करने की चूक के कारण ₹19.46 लाख के कर के कुल कम प्रभार सहित ₹46.30 लाख की आय का कम निर्धारण किया गया। विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अप्रैल 2017)।

घ. प्रभार: पीसीआईटी (केन्द्रीय सर्कल), बेंगलुरु, कर्नाटक

निर्धारिती: मै. आनन्द सोशल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट

निर्धारण वर्ष: 2009-10 to 2012-13

पैन: AAATA7392M

निर्धारिती ट्रस्ट डा. अम्बेडकर मेडिकल एंड हास्पिटल चला रहा था जिसका नि.व 2009-10 से 2012-13 के लिए निर्धारण क्रमशः ₹12.68 करोड़, ₹14.85 करोड़, ₹22.74 करोड़ और ₹27.86 करोड़ की निर्धारित आय के साथ मार्च 2016 में आईटी अधिनियम की धारा 153ए/143(3) के अंतर्गत किया

¹²⁷ उचित मूल्य=(निवल परिसंपत्ति-निवल देयता)/जारी किये गये कुल शेयर=(981.39 लाख कम 669.37 लाख)/1.524 लाख।

¹²⁸ आयकर नियम 1962 के नियम 11यू और 11यूए के अनुसार

¹²⁹ धारा 56 की उप-धारा 2(viiख) दर्शाती है कि शीर्षक "अन्य स्रोतों से आय" के अंतर्गत नामतः "जहां कंपनी एक कंपनी के रूप में नहीं जिसमें सामान्य लोगों मूलतः रुचि रखते हैं, किसी विगत वर्ष में किसी व्यक्ति से निवासी के रूप में प्राप्त करते हैं शेयरों को जारी करने के लिए कोई मुआवजा जो ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य को बढ़ाता है, ऐसे शेयरों के प्राप्त औसत मुआवजा शेयरों के उचित बाजार मूल्य का बढ़ा देता है।

गया। कर देयता की गणना करते समय, आईटी अधिनियम की धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज, आईटी अधिनियम की धारा 234बी¹³⁰ की आवश्यकतानुसार, ऐसे आगामी वि.व के अप्रैल के प्रथम दिन पर आरंभ होने की तिथि और आईटी अधिनियम की धारा 147/153ए के अंतर्गत पुनः निर्धारण/पुनः गणना की अंतिम तिथि की अवधि से उद्ग्राह्य ₹15.16 करोड़ की उचित राशि के स्थान पर आईटी अधिनियम की धारा 143(1) के अंतर्गत कुल आय के निर्धारण की तिथि से ₹10.75 करोड़ पर धारा 147/153ए के अंतर्गत पुनः निर्धारण/पुनः गणना की अंतिम तिथि की अवधि की धारा 234बी (3) के अंतर्गत ब्याज प्रभारित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप क्रमशः ₹4.41 करोड़¹³¹ तक धारा 234बी(3) के अंतर्गत ब्याज का कम उद्ग्रहण किया गया था। अपने उत्तर में (जून 2016) विभाग ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी।

4.11 गैर कानूनी व्यय की अनियमित अनुमति

दिनांक अगस्त 2012¹³² के सीबीडीटी के निदेशों के अनुसार, मेडिकल चिकित्सकों को मुफ्त उपहार¹³³ उपलब्ध कराने के लिए किये गये व्यय के लिए दावा इंडियन मेडिकल काउंसिल नियमावली, 2002 (व्यवसायिक, आचरण, सदाचार और नीतियाँ) के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण कानून द्वारा निषिद्ध व्यय के रूप में आयकर अधिनियम की धारा 37(1) के अंतर्गत अस्वीकार्य होंगे। यह न्यायिक निर्णय¹³⁴ है कि मरीजों को भेजने के लिए प्राइवेट चिकित्सकों को अदा किया जाने वाला कोई भी कमीशन कानून द्वारा निषिद्ध है और इसलिए व्यापार व्यय के रूप में अनुमत नहीं होंगे।

4.11.1 आठ राज्यों¹³⁵ (परिशिष्ट-16ए) में 19 मामलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹5.56 करोड़ के कर प्रभाव सहित ऐसे प्रावधानों के उल्लंघन में ऐसे व्यय नि.अ. ने अनुमत किये। नीचे ऐसे तीन मामलों की चर्चा की गई है (बॉक्स 4.12 देखें):

¹³⁰ 1.6.2015 से लागू संशोधित धारा 234बी(3) के अनुसार, जहां राशि जिस पर उप-धारा (1) के अंतर्गत ब्याज देय था, धारा 147/153ए के अंतर्गत पुनः निर्धारण या पुनः गणना के आदेशक के रूप में वृद्धि हुई है, निर्धारित प्रत्येक महीने या धारा 147/ए के अंतर्गत पुनः 153 गणना की अंतिम तिथि की अवधि पुनः निर्धारण में दिये गये भाग के 1 प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज के भुगतान के लिए उद्ग्रहाय होगा, पुनः निर्धारण/पुनः गणना के आधार पर निर्धारित कुल आय पर कर की राशि धारा 143 की उप-धारा (1) के अंतर्गत या उप-धारा (1) में संदर्भित नियमित निर्धारण के आधार पर, जैसा भी मामला हो, निर्धारित कुल आय पर कर से अधिक होती है।

¹³¹ चार वर्षों (नि.व 2009-10 से 2012-13) के लिए ₹70.17 लाख, ₹73.27 लाख, ₹178.77 लाख और ₹117.74 लाख
¹³² दिनांक 01 अगस्त 2012 के परिपत्र सं. 5/2012

¹³³ उपहार, यात्रा सुविधा, आतिथ्य, नकद या धन अनुदान

¹³⁴ सीआईटी बनाम केएपी स्कैन और डायग्नोस्टिक केंद्र प्रा. लिमिटेड [2012] 344 आईटीआर 476 (पंजाब और हरियाणा) में माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

¹³⁵ आंध्र प्रदेश और तलंगाना (5), बिहार (1), दिल्ली (1), केरल (2), महाराष्ट्र (1), तमिलनाडु (3), पश्चिम बंगाल (6)।

बॉक्स 4.11: गैर कानूनी व्यय की अनियमित अनुमति पर निदर्शी मामले**क. प्रभार: पीसीआईटी-4, चेन्नई, तमिलनाडु****निर्धारिती: मै. लाईफसेल इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड****निर्धारण वर्ष: 2013-14****पैन: AAECA 7997B**

₹35.59 करोड़ की आय पर मार्च 2016 में निर्धारिती ने संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। रिकॉर्डों के अनुसार, निर्धारिती ने दावा किया और उसे 'अन्य व्यय' के शीर्ष के अंतर्गत संदर्भित फीस के रूप में दर्शाये गये ₹6.91 करोड़ की छूट दी गयी। चूंकि 2012 के सीबीडीटी के परिपत्र 5 के अनुसार उक्त व्यय अनुमत योग्य नहीं थे, उक्त को अनुमत न किया जाना अपेक्षित था और कर योग्य आय में वापस जोड़ा जाना चाहिये था। ऐसा करने की चूक के परिणामस्वरूप ₹2.07 करोड़ के कर के कम भुगतान सहित ₹6.91 करोड़ की आय की कम प्रभारित किया गया। आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2017)।

ख. प्रभार: पीसीआईटी-8, कोलकाता, पश्चिम बंगाल**निर्धारिती: देबजीत घोष****निर्धारण वर्ष: 2012-13 और 2013-14****पैन: AGJPG7542C**

सर्जिकल और मेडिकल उपकरणों के व्यापार संबंधित निर्धारिती ने शीर्ष 'व्यापार बढ़ोतरी' के अंतर्गत व्यापार और लाभ और हानि लेखे में नि.व 2012-13 में ₹1.09 करोड़ और नि.व 2013-14 में ₹2.32 करोड़ डेबिट किये। चूंकि निर्धारिती द्वारा किये गये व्यापार बढ़ोतरी व्यय मुख्यतः मुफ्त उपहार जैसे गिफ्ट, यात्रा सुविधा, आतिथ्य, मेडिकल चिकित्सक को नकद या मौद्रिक अनुदान के लिए किया गया, व्यय अनुमतयोग्य व्यय नहीं था। ₹99.31 लाख¹³⁶ (नि.व 2012-13 के लिए ₹30.55 लाख और नि.व 2013-14 के लिए ₹68.76 लाख) के कर प्रभाव सहित ₹3.21¹³⁷ करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित था। (अप्रैल 2017)।

¹³⁶ 30.55 लाख (नि.व. 2012-13)+68.76 लाख (नि.व. 2013-14)

¹³⁷ 321.40 लाख 98.86 लाख (नि.व. 2012-13) और 222.54 लाख (नि.व. 2013-14)

ग. प्रभार: पीसीआईटी-4, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
निर्धारिती: मै. पीयरलैस हास्पीटैक्स हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर
लिमिटेड
निर्धारण वर्ष: 2010-11, 2011-12 और 2012-13
पैन: AABCP7225L

उपरोक्त मामलों में, नि.व 2010-11, नि.व 2011-12 और नि.व 2012-13 में डॉक्टरों को क्रमशः ₹47.53 लाख, ₹51.77 लाख और ₹63.40 लाख की संदर्भित फीस भुगतान किये गये थे। चूँकि ये व्यय प्रकृति में 'गैर कानूनी' थे उन्हें अनुमत न किया जाना और प्रासंगिक नि.व में निर्धारिती की कुल आय का वापस जोड़ना आवश्यक था। की गई चूक के परिणामस्वरूप ₹51.75 लाख¹³⁸ के अनुषंगिक कुल कर सहित नि.व 2010-11, नि.व 2011-12 और नि.व 2012-13 में क्रमशः ₹47.53 लाख, ₹51.77 लाख और ₹63.40 लाख की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2017)।

4.11.2 इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र में नौ मामलों (परिशिष्ट-16बी) में, लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹52.21 करोड़ के विज्ञापन और व्यापार बढ़ोत्तरी व्यय विभाग द्वारा अनुमत किया गया था। यद्यपि भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यवसायिक आचरण, सदाचार और आचार नीति) नियमावली, 2002 के पैरा 6¹³⁹ और होम्योपैथी चिकित्सक (व्यवसायिक आचरण, सदाचार और आचार नीति) के पैरा 6(1)¹⁴⁰ के अनुसार विज्ञापन को एक 'अनीतिकर' पद्धति माना गया है। इसके

¹³⁸ नि.व. 2010-11, नि.व. 2011-12 और नि.व. 2012-13 क्रमानुसार में ₹ 16.16 लाख ₹ 16.00 लाख और ₹ 19.59 लाख।

¹³⁹ भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, सदाचार और आचार नीतियां) नियामक, 2002 के पैरा 6 - अनीतिकर कार्य: कोई चिकित्सक निम्नलिखित कार्यों, में न सहायता करेगा या उकसायेगा या करेगा जो अनीतिकर माने गये हैं - विज्ञापन: किसी चिकित्सक या चिकित्सकों के समूह या संस्थान द्वारा या संगठनों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मरीजों को फसांना अनीतिकर है। कोई चिकित्सक किसी अकेले या अन्य के साथ मिलकर किसी भी रूप में विज्ञापन या प्रचार के रूप या ढंग के रूप में (अपना नाम) नहीं दर्शायेगा जो इस रूप हो जो व्यावसायिक स्थिति, कौशल, योग्यता, उपलब्धि, ज्ञान, विशेषज्ञता, नियुक्ति, संघ, मान्यता या सम्मान और/या ऐसे ही किसी रूप में स्वयं या उक्त पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए, जो कि यह उसका स्वयं विज्ञापन करना माना जाएगा उपलब्ध पत्र पत्रिकाओं में, एक विवरणिका या किसी निदेशक या तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट के संबंध में अपना नाम प्रकाशित करने के लिए यह अनुमत होगा

¹⁴⁰ होम्योपैथिक चिकित्सक का पैरा 6(1-) व्यावसायिक आचरण सदाचार, और आचार नीति 1982 नियामक (दिनांक के 2014 जुलाई 12 होम्योपैथी चिकित्सक द्वारा विज्ञापन करना-(आधिकारिक बजट में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार संशोधन किये जाने के अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मरीजों को फसांना या समाचार पत्रों में या प्लेकार्ड द्वारा विज्ञापन देना, या परिपत्र कार्डों या हैंड बिलों के वितरण द्वारा या प्रचार करना अनीतिकर है। होम्योपैथी का कोई चिकित्सक किसी भी रूप में या विज्ञापन के ढंग से या चैनल द्वारा प्रचार जो इस रूप का होगा जो उसकी और या उसके व्यवसायिक स्थिति या कौशल की आकृष्ट करे या जो सामान्यतः विवर्धन के- उसके स्वयं: रूप में हो, वहां न तो अपने नाम का प्रयोग करेगा न ऐसा करने की अनुमति प्रदान करेगा। (2) इसके अतिरिक्त वह मूल्य सूची द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या निर्माण फर्म या ट्रेडर्स की प्रचार सामग्री स्वयं द्वारा को प्रचारित नहीं करेगा न ही गैर व्यावसायिक-समाचार पत्रों में केस, ऑपरेशन या मरीजों से धन्यवाद पत्र प्रकाशित करेगा।

परिणामस्वरूप ऐसे मामलों में ₹16.93 करोड़ के कर का कम प्रभार हुआ। (एक निदर्शी मामला नीचे दर्शाया गया है (बॉक्स 4.13 देखें):

बॉक्स 4.12: गैर कानूनी व्यय के अनियमित अनुमति पर निदर्शी मामला

प्रभार: पीसीआईटी-16, मुम्बई, महाराष्ट्र

निर्धारिती: मै. बत्रा पोजीटिव हेल्थ क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष: 2012-13 और 2013-14

पैन: AABCD3857G

नि.व 2012-13 और 2013-14 के लिए निर्धारिती के संवीक्षा निर्धारण क्रमशः ₹9.75 करोड़ तथा ₹8.48 करोड़ की आय राशि पर मार्च 2015 और मार्च 2016 में पूरे किये गये थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने दावा किया था और नि.व 2012-13 और 2013-14 में विज्ञापन और व्यापार बढ़ोतरी व्यय के संबंध में क्रमशः ₹23.84 करोड़ तथा ₹27.83 करोड़ का व्यय किया था। चूंकि नियामक निकायों द्वारा ऐसी पद्धतियों को 'अनीतिकर' घोषित किया गया था, इस पर किया गया व्यय भी 'अवैध' माना जाएगा और इसलिए धारा 37 के प्रावधान के अंतर्गत वापस जोड़ा जाएगा। की गई चूक के परिणामस्वरूप नि.व 2012-13 तथा 2013-14 में क्रमशः ₹7.74 करोड़ एवम ₹9.03 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण सहित ₹23.84 करोड़ तथा ₹27.83 करोड़ तक आयों को कम निर्धारण किया गया था। आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2017)।

एग्जिट सम्मेलन में, विभाग द्वारा यह कहा गया था कि इस संबंध में (2012 के परिपत्र सं. 5) पहले ही स्पष्टीकरण जारी किया जा चुका था और इसके बाद ऐसी घटनाओं में कमी आई थी। यद्यपि सभी मद, जैसे संदर्भित फीस, विज्ञापन या व्यापार बढ़ोतरी व्यय आदि को उक्त स्पष्टीकरण के अंतर्गत कवर नहीं किया गया था।

4.12 निष्कर्षों का सार

मशीनरी और संयंत्रों के मूल्यहास के साथ-साथ अन्य परिसंपत्तियों और प्रारंभिक व्यय के परिशोधन से संबंधित प्रावधान गलती से अनुमत किये गये थे। व्यापार व्यय की अनुमति, स्रोत कर कटौती, न्यूनतम विकल्प कर और अग्रेनयन हानियों का अलग करने के संबंध में प्रावधानों को निर्धारण के दौरान आईटीडी द्वारा उचित रूप से अपनाया नहीं गया था। निर्धारण अधिकारी ने नकद प्राप्ति और भुगतान विवरण प्राप्त न करने की चूक की जहां धारा 269 एसएस और 269टी का उल्लंघन किये गये थे और जुर्माना कार्रवाई प्रारंभ करने में भी विफल रहा था। पूँजीगत लाभ/हानियों की गणना और अनुमति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई थी। कुछ मामलों में, निर्धारितियों की आय अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नहीं आंकी गई थी।

मरीजों के संदर्भ के लिए निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा डाक्टरों को अदा की गई संदर्भ फीस और चिकित्सा व्यवसायी द्वारा विज्ञापन व्यय के संबंध में किये गये भुगतान अनुमत किए गए थे यद्यपि क्रमशः सीबीडीटी निर्देशों और भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यवसायिक आचरण, सदाचार और आचार नीति) नियमावली, 2002 के पैरा 6 और होम्योपैथी चिकित्सक (व्यवसायिक आचरण, सदाचार और आचार नीति) नियमावली के अनुसार ऐसा व्यय अस्वीकार्य और अनीतिकर माना गया है।

4.13 सिफारिशें

सीबीडीटी ऐसे अनीतिकर पद्धतियों के प्रति अतिरिक्त निवारण सृजित करने के लिए आय कर अधिनियम 1961 की धारा 37 के अंतर्गत स्पष्टीकरण के दायरे के अंदर सभी प्रकार के मुफ्त उपहारों और चिकित्सा व्यवसायियों को अदा की गई संदर्भ फीस के साथ-साथ विज्ञापन और व्यापार बढ़ोतरी व्यय के संबंध में व्यय की अस्वीकृति के प्रावधान शामिल कर सकता है।

सीबीडीटी ने उत्तर दिया (मई 2017) कि अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत अस्वीकार्य व्यय के रूप में विशिष्ट मदों के संदर्भ के विशेष रूप में कोई वैधानिक व्यवधान केवल धारा 37 के स्पष्टीकरण की विस्तृत सीमा को कम करेगा। इस प्रकार सीबीडीटी के अनुसार, पर्याप्त वैधानिक प्रावधान उपलब्ध है और आवश्यक परिपत्र इस संदर्भ में सीबीडीटी द्वारा पहले जारी किये जा चुके हैं। इसलिए अधिनियम की वैधानिक व्यवस्थापन के रूप में कोई आगे हस्तक्षेप इस मामले में अपेक्षित नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। जैसा कि लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया, निर्धारण अधिकारी इस संदर्भ में सीबीडीटी निर्देशों में स्पष्टता की कमी के कारण विभिन्न विचार ले रहे हैं। इसलिए सीबीडीटी कानून में संशोधन किये बिना ही एकरूपता और निर्धारण में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक स्पष्टीकरण इससे आगे जारी कर सकती है।

नई दिल्ली
दिनांक: 30 जून 2017

गोविंद भट्टाचार्य
(गोविंद भट्टाचार्य)
महानिदेशक (प्रत्यक्ष कर)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 30 जून 2017

शशि कान्त शर्मा
(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

